सं. 4/8/2015-एआर एवं आईटी
भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
(प्रशासनिक सुधार एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 15 अक्टूबर, 2015
www.indiaculture.nic.in

कार्यालय आदेश

इस मंत्रालय के दिनांक 9 अप्रैल, 2015 के कार्यालय आदेश सं. 4/4/2015-आरटीआई के पैरा तीन का आंशिक संशोधन करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि लिंक अधिकारियों को निम्नानुसार आरटीआई के कार्यों का निर्वहन करना होगा :-

किसी पदानामित अधिकारी (सीपीआईओ के रूप में अवर सचिव तथा प्रथम अपीली प्राधिकारी के रूप में उप-सचिव/निदेशक, जैसा भी मामला हो) के **अवकाश, दौरे, प्रशिक्षण, चुनाव ड्यूटी, स्थानांतरण, कार्यमुक्ति, सेवानिवृत्ति, निलंबन अथवा अन्य किसी कारण** से अनुपस्थित होने की स्थिति में -

(i) संबंधित लिंक अधिकारी अथवा सीपीआईओ या प्रथम अपीली अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाला अधिकारी, आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीपीआईओ अथवा प्रथम अपीली अधिकारी, जैसा भी मामला हो, के रूप में संबंधित पदनामित अधिकारी के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा।

(ii) ऐसी स्थिति में जहां यह आदेश हो कि अवर सचिव/सीपीआईओ प्रभाग से संबंधित फाइलों को सीधे संबंधित संयुक्त सचिव (यदि प्रभाग में उप-सचिव/निदेशक के स्तर पर कोई लिंक अधिकारी नहीं हो) को प्रस्तुत करेंगे, तब संबंधित प्रभाग के संयुक्त सचिव प्रथम अपीली प्राधिकारी होंगे।

(iii) ऐसी स्थिति में जहां पदनामित सीपीआईओ का कोई लिंक अधिकारी न हो अथवा उसके कार्य दायित्वों को किसी अन्य अधिकारी को सौंपा न गया हो, तब ऐसे सभी

मामलों में उस अधिकारी से एकदम बाद वाला कनिष्ठ अधिकारी तब तक सीपीआईओ का कार्य करेगा जब तक नया अधिकारी (अवर सचिव स्तर) नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण न कर ले अथवा यह कार्य किसी अन्य अधिकारी को न सौंप दिया जाए।

(iv) संबंधित लिंक अधिकारी अथवा अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले अधिकारी (उपर्युक्त उप पैरा (i) से (iii) के अंतर्गत यथा वर्णित) सीआईसी आदि में सुनवाई के लिए सभी ऑन-लाइन तथा ऑफ-लाइन आरटीआई आवेदनों, अपीलों और नोटिसों को प्राप्त करेंगे तथा इन पर कार्रवाई कर इनका निपटान करेंगे।

(v) इस मंत्रालय में समय-समय पर अधिकारियों के बीच कार्यों के पुनर्आबंटन की स्थिति में, अवर सचिव (अथवा समकक्ष) तथा उप-सचिव/निदेशक (अथवा समकक्ष) और लिंक अधिकारी संस्कृति मंत्रालय में आरटीआई कार्य के संबंध में सीपीआईओ/अपीली प्राधिकारी के रूप में स्वत: कार्य करेंगे। इस प्रभाग द्वारा उस समय इस संबंध में पृथक रूप से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा

ह./-
(मीना कुमारी शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित :-

(1) संस्कृति मंत्री के निजी सचिव
(2) सचिव (संस्कृति) के प्रधान स्टाफ अधिकारी/अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव
(3) सभी संयुक्त सचिव, सभी निदेशक/उप-सचिव
(4) संस्कृति मंत्रालय के सभी अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी
(5) वित्तीय सलाहकार(संस्कृति)/सीसीए (एचआरडी) के निजी सचिव
(6) संस्कृति मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ/स्वायत्तशासी संगठन
(7) तकनीकी निदेशक, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करें।